

**DBT योजनांतर्गत व्यक्तिमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन लिशमावली में संशोधन अनुदान पर सूकरत्रयी वितरण**

| क. | योजना                                | पूर्व अनुमोदित योजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | योजना में संशोधन हेतु प्रारूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | योजना का स्वरूप, एवं पात्र हितग्राही | योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, वर्ग के सूकर पालक हितग्राही को उन्नत नस्ल (मिडिल व्हाइट यार्कशायर) की सूकरत्रयी इकाई (01 नर + 02 मादा) का अनुदान पर प्रदाय।                                                                                                                                                                                                       | योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, वर्ग के सूकर पालक हितग्राही को उन्नत नस्ल (मिडिल व्हाइट यार्कशायर) की सूकरत्रयी इकाई (01 नर 02 मादा) का क्रय हेतु अनुदान प्रदाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | पशु कय प्रक्रिया                     | <p>1. प्रदेश के विभागीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों में उपलब्ध सूकरत्रयी इकाई, उनके पुस्तकीय मूल्य पर प्राथमिकता के आधार पर कय किये जावेंगे।</p> <p>शासकीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र से कय की दशा में पशुओं का पुस्तकीय मूल्य एवं परिवहन व्यय सहित, इकाई लागत होगा।</p> <p align="center"><b>एवं/अथवा</b></p> <p>2. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर, (परिवहन सहित) इकाई लागत होगी।</p> | उन्नत नस्ल (मिडिल व्हाइट यार्कशायर) का सूकरत्रयी इकाई (01 नर+02 मादा) आयु 06 माह से 01 वर्ष का हितग्राही द्वारा शासकीय सूकर पालन प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर कय करेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | अनुदान पात्रता                       | इकाई लागत का 90% या अधिकतम रु. 9000.00 का अनुदान, जो भी कम हो (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये)                                                                                                                                                                                                                                                                 | इकाई लागत का 90% या अधिकतम रु. 9000.00 का अनुदान, जो भी कम हो (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | अनुदान प्रदाय का स्वरूप              | <p>1. प्रदेश के शासकीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र में उपलब्ध सूकरत्रयी इकाई, प्राथमिकता के आधार पर पुस्तकीय मूल्य पर कय किये जावेंगे।</p> <p>2. निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर, प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की दरे अनुमोदित की जावेगी।</p>                                                                                                                                | <p>हितग्राही द्वारा मापदण्ड अनुसार सूकरत्रयी इकाई शासकीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर कय करेगा। संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या नगरीय निकाय के पार्षद एवं स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं स्थानीय सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापित देयक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के माध्यम से विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।</p> <p>स्थानीय तौर पर सूकरत्रयी कय करने की स्थिति में पंचायत शुल्क की रसीद प्रकरण के साथ हितग्राही को</p> |

नोट:- (1)

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) हेतु हितग्राही के संबंध में निम्नानुसार जानकारी संलग्न प्रपत्रानुसार आवेदन पत्र में अनिवार्य होगी:-

- हितग्राही का नाम
- योजना का नाम जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) दिया गया है
- बैंक एवं शाखा का नाम
- हितग्राही का बैंक एकाउंट नंबर
- बैंक का IFSC Code

- (2) पात्र हितग्राही को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन ग्राम पंचायत से अनुशंसित कराकर जनपद पंचायत से अनुमोदित कराया जावेगा।
- (3) जनपद पंचायत से अनुमोदन पश्चात् आवेदन जिला पंचायत (कृषि स्थायी समिति) में अनुमोदित कराया जावेगा।
- (4) प्रकरण के अनुमोदन उपरांत चयनित हितग्राही को शासकीय प्रक्षेत्र/पशु बाजार/खुले बाजार से पशु कय करने हेतु जिला अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जायेगा।
- (5) हितग्राही प्रजनन योग्य सूकरत्रयी शासकीय सूकर पालन प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर कय करेगा। तत्पश्चात् संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या नगरीय निकाय के पार्षद एवं स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं स्थानीय सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापित देयक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के माध्यम से विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा। स्थानीय तौर पर सूकरत्रयी कय करने की स्थिति में पंचायत शुल्क की रसीद हितग्राही को प्रकरण के साथ जमा करना होगा।
- (6) तत्पश्चात् जिला अधिकारी के द्वारा हितग्राही के बैंक खाते में निर्धारित अनुदान राशि जमा की जावेगी तथा इस आशय की जानकारी हितग्राहियों को सूचित की जावेगी।

प्रपत्र

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (D.B.T.) के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की डिजिटल सूची हेतु प्रारूप योजना का नाम ..... जिला का नाम .....

जिला का नाम .....

[illegible]